पंचायती राज में प्रमाण–पत्र कार्यक्रम	कार्यक्रम कोड : सीपीआरपी
Certificate on Panchayati Raj Programme	Programme Code :CPRP

उद्देश्य (Objectives) :

- प्रदेश एवं पूरे देश में कार्यरत पंचायतों, ग्राम सभाओं और पंचायत समितियों का प्रारंभिक ज्ञान प्रदान करना।
- ग्राम पंचायतों के संचालन सम्बन्धी प्रक्रियाओं तथा नित्यचर्या का प्रशिक्षण प्रदान करना।
- ग्रामीण स्वावलंबन सम्बन्धी योजनाओं, विभिन्न ग्रामीण विकास की परियोजनाओं तथा सरकारी सुविधाओं की जानकारी प्रदान करना।
- ग्राम पंचायतों में निर्वाचित सदस्यों को पंचायती राज सम्बन्धी समस्याओं, कार्यों तथा योजनाओं की पूर्ण जानकारी एवं प्रशिक्षण देना।
- प्रदेश में पंचायती राज की व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु सभी कार्यकर्ताओं के ज्ञान में अभिवृद्धि करना।

प्रवेश योग्यता (Admission Eligibility) : साक्षर मात्र (पढ़ने लिखने का ज्ञान होना चाहिए) अथवा किसी भी मान्यता प्राप्त खुला विश्वविद्यालय से बी.ए.पी./बी.सी.पी./बी.पी.पी. परीक्षा उत्तीर्ण।

अवधि (Duration) : न्यूनतम 6 माह ; अधिकतम 2 वर्ष

माध्यम(Medium) : पाठ्य सामग्री हिन्दी/अंग्रेजी में उपलब्ध

श्रेयांक (Credit) : लागू नहीं

शुल्क (Fee) : रूपये 1000/– (रूपये एक हजार मात्र)

कार्यक्रम संरचना

(Programme Structure) : इस कार्यक्रम में निम्नांकित चार पाठ्यक्रम हैं :

क्र.सं. (S.No.)	पाठ्यक्रम का नाम (Name of Course)	पाठ्यक्रम कोड (Course Code)	श्रेयांक (Credit)
1.	पंचायती राज सर्वत्र	सीपीआरपी–01	लागू नहीं
2.	पंचायती राज और विकेन्द्रित नियोजन	सीपीआरपी–02	लागू नहीं
3.	विकास और सामाजिक न्याय	सीपीआरपी–03	लागू नहीं
4.	क्षेत्र आधारित और अन्य विकास कार्यक्रम	सीपीआरपी–04	लागू नहीं

परीक्षा पद्धति (Examination Pattern) :

विद्यार्थी के मूल्यांकन के लिये पाठ्यसामग्री के प्रत्येक खण्ड पर एक–एक सत्रीय गृहकार्य भेजा जायेगा। विद्यार्थी के लिए यह सत्रीय गृहकार्य 50 अंकों का होगा तथा इनमें उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी को विश्वविद्यालय द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। उत्तीर्ण होने के लिये विद्यार्थी को कम से कम 36 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। उत्तीर्ण होने पर विद्यार्थी को प्रमाणपत्र दिया जायेगा।